



झारखण्ड विधान सभा

षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा

षष्ठम् (मानसून) सत्र

कार्य सूची

7 अगस्त , 2026

11:00:00

1. प्रश्नोत्तर

- (1) सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (2) अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

2. शून्यकाल की सूचनाएँ ।

3. ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य

- (1) सर्वश्री मथुरा प्रसाद महतो, श्री निरल पुरती एवं मो० ताजुद्दीन स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।
- (2) श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।
- (3) श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह एवं प्रो० स्टीफन मराण्डी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य ।
- (4) सर्वश्री अरूप चटर्जी, उदय शंकर सिंह एवं श्री समीर कुमार मोहन्ती स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।
- (5) श्री राज सिन्हा स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

4. समितियों का गठन

- (1) झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

5. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

- (1) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री **श्री राधाकृष्ण किशोर** द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की वार्षिक रिपोर्ट/प्रतिवेदन की प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।
- (2) झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

6. याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो) ।

7. वित्तीय-कार्य

- (1) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री **श्री राधाकृष्ण किशोर** द्वारा वित्तीय वर्ष **2026-27** के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन ।

8. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो) ।

राँची - 834004
दिनांक: 07 अगस्त 2026

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा